

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/0527/2019

जयपुर, दिनांक 22/11/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	526	श्री मनीष कुमार पुत्र श्री रमेश चंद	कार्यालय उपनिदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, भरतपुर	MCA	JNU, Jaipur
2.	2326	श्री मोहम्मद वसीम	कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक	M.Sc.(CS)	VMOU, Kota
3.	3513	श्री मनजीत सिंह भूपेश	कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलसीसर, झुन्झुनू	M.A.(Economics)	VMOU, Kota
4	3842	श्रीमती माया सुथार	जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर	M.Sc.-CS (Later Entry)	VMOU, Kota
5	1177	श्री हेमन्त शर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।	M.Sc.-CS (2 nd year)	VMOU, Kota
6	534	श्री हेमन्त कुमार भृगु	राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।	MA-Sociology (Final Year)	UOR, Jaipur
7	IA New Batch 2018	सुश्री ज्योति मीना	कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सवाईमाधोपुर।	MCA	Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
8	3700	सुश्री कविता	कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, नीमराना, अलवर	PGDCA	VMOU, Kota
9	1467	श्री हरिपाल सिंह	कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, शेरगढ, जोधपुर	M.A.(Geography) Final Year	VMOU, Kota
				Bachelor of Library and Information Science	Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, UP
10	IA New Batch 2018	सुश्री कमलेश मीना	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।	MCA	JNU, Jaipur

Continue P.T.O

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायको को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— 58 —

(विवेक कुमार)
RAS

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
 2. संबंधित कर्मचारी.....।
 3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

19

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)